भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3431 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

कोल्लम बंदरगाह का ईष्टतम उपयोग

†3431. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कोल्लम पत्तन की अधिकतम क्षमता का उपयोग करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार लक्षद्वीप के लिए पोत सेवा संपर्कों सहित यात्री और पर्यटन के लिए पत्तन का उपयोग करने का है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विचार संभारतंत्र लागत और सड़क संयोजन को कम करने के लिए विझिंजम पत्तन को जोड़ने वाले तटीय पोत परिवहन केन्द्र के रूप में कोल्लम पत्तन का उपयोग करने का है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कोल्लम पत्तन की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए संभारतंत्र, वेयरहाउसिंग, पोत मरम्मत और पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार सृजित करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की है; यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने कार्गो हैंडलिंग उपकरणों की बर्थ क्षमता में सुधार लाने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की है; यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ङ): महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तन, जिन्हें गैर-महापत्तन या लघु पत्तन भी कहा जाता है, संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं और उनका विकास राज्य के क्षेत्राधिकार एवं जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। कोल्लम पत्तन केरल सरकार के क्षेत्राधिकार

के अंतर्गत एक गैर- महापत्तन है। इसलिए, पत्तन से संबंधित विकास और प्रचालन के मामले मुख्य रूप से राज्य सरकार के दायरे में आते हैं।

केरल सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत पत्तन के विकास के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला योजना के तहत कोल्लम पत्तन में बहुउद्देशीय बर्थ के विकास के लिए केरल सरकार की परियोजना को आंशिक रूप से वित्त पोषित किया है। इसमें 101 मीटर लंबे और 21 मीटर चौड़े व्हार्फ तथा अन्य सहायक सुविधाओं के निर्माण के लिए 7.24 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता (कुल परियोजना लागत 15.15 करोड़ रुपये) शामिल है।

कोल्लम पत्तन के विकास से पत्तन प्रचालन, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, पर्यटन और संबंद्ध समुद्रीय गतिविधियों में निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
